भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या 146

13 दिसंबर, 2023 के लिए प्रश्न

सार्वजनिक वितरण प्रणाली में श्रीअन्न और सी-फूड को शामिल करना

***146. श्री लावू श्रीकृष्णा देवरायालू:**

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंत्रालय की सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत दिए जाने वाले खाद्यान्नों में विविधता लाने की योजना है ताकि इसमें श्रीअन्न और सी-फूड जैसे अधिक पोषकतत्वयुक्त खाद्य पदार्थों को शामिल किया जा सके;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार इस योजना के अंतर्गत किफ़ायत और उपभोक्ता प्राथमिकताओं की ओर ध्यान देने के लिए उपाय कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं; और

(ड.) इस योजना के अंतर्गत वितरित किए गए खाद्यान्नों का राज्य-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण तथा वस्त्र मंत्री

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ड.): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

******

लोक सभा में दिनांक 13.12.2023 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 146 के उत्तर के भाग (क) से (ड.) में उल्लिखित विवरण।

(क) और (ख): प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) के अंतर्गत, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) के माध्यम से लगभग 80 करोड़ लाभार्थियों के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को नि:शुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराए जाते हैं ताकि उन्हें वितरित किया जा सके। "खाद्यान्न" शब्द को चावल, गेहूं या मोटे अनाज या उनके किसी संयुक्त रूप में परिभाषित किया गया है जो केंद्र सरकार के आदेश द्वारा समय-समय पर निर्धारित किए गए गुणवत्ता मानदंडों के अनुरूप हों। इसके अतिरिक्त, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों द्वारा खाद्य या पोषण आधारित योजनाओं अथवा स्कीमों को तैयार किया जा सकता है ताकि वे पीएमजीकेएवाई के अंतर्गत प्रदान किए जाने वाले लाभों से अधिक लाभप्रद हों।

यह सुनिश्चित करते हुए कि प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में चावल, गेहूं और मोटे अनाज की समग्र मात्रा निर्धारित की गई अधिकतम सीमा के अंतर्गत है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत गेहूं/चावल (जैसाकि राज्य द्वारा अनुरोध किया गया हो) की समान मात्रा के स्थान पर मोटे अनाज/मिलेट्स (श्री अन्न) का भी आवंटन किया गया है।

इसके अलावा, दिशानिर्देशों के अनुसार, मोटे अनाज की खरीद, आवंटन, वितरण और निपटान के लिए, राज्यों को किसानों से एमएसपी दर पर केंद्रीय पूल के लिए ज्वार, बाजरा, मक्का, जौ और रागी तथा छः माइनर मिलेट (श्री अन्न) की खरीद करने की अनुमति दी जाती है बशर्ते कि भारतीय खाद्य निगम के परामर्श से भारत सरकार का पूर्व अनुमोदन प्राप्त हो। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में समस्त मात्रा को टीपीडीएस/अन्य कल्याणकारी योजनाओं (ओडब्ल्यूएस) के अंतर्गत वितरित किया जाता है।

(ग) और (घ): पीएमजीकेएवाई योजना को देश में कोविड-19 के प्रकोप के कारण हुए आर्थिक व्यवधानों के कारण गरीबों और जरूरतमंदों को होने वाली कठिनाइयों को दूर करने के विशेष उद्देश्य से प्रारंभ किया गया था। कोविड संकट के मद्देनजर, पीएमजीकेएवाई के तहत खाद्यान्नों का निःशुल्क आवंटन नियमित आवंटन के अतिरिक्त था। पीएमजीकेएवाई (चरण I-VII) के तहत 28 माह (अर्थात् अप्रैल, 2020 से दिसंबर, 2022 तक) की अवधि के लिए लगभग 1118 लाख टन खाद्यान्नों की कुल मात्रा का आवंटन किया गया था, जिसका कुल नियोजित वित्तीय परिव्यय लगभग 3.91 लाख करोड़ रुपए था।

गरीब लाभार्थियों के वित्तीय बोझ को समाप्त करने और इस कार्यक्रम की राष्ट्रव्यापी एकरूपता एवं प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए, केंद्र सरकार ने दिनांक 1 जनवरी, 2023 से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) के तहत अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) वाले परिवार और प्राथमिकता वाले परिवार (पीएचएच) के लाभार्थियों को निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराने का निर्णय लिया था ताकि निर्धन व्यक्तियों को सहायता प्रदान की जा सके।

पीएमजीकेएवाई के लाभार्थियों के हितों को ध्यान में रखते हुए और गरीबों की खाद्यान्नों तक पहुंच, वहनीयता व उपलब्धता को सुदृढ़ करने हेतु तथा राज्यों में एकरूपता बनाए रखने के लिए, सरकार ने पीएमजीकेएवाई के तहत लगभग 81.35 करोड़ एनएफएसए लाभार्थियों (अर्थात अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) परिवारों और प्राथमिकता वाले परिवार (पीएचएच)) को दिनांक 1 जनवरी, 2024 से पांच वर्ष की अवधि के लिए 11.80 लाख करोड़ रुपए के अनुमानित वित्तीय परिव्यय के साथ निःशुल्क खाद्यान्न प्रदान करने का निर्णय लिया है जिसका संपूर्ण वहन केंद्र सरकार द्वारा किया जाएगा।

(ङ) सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के तहत, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा वर्ष 2022-23 और 2023-24 के लिए वितरित किए गए अनाजों का राज्य-वार विवरण **अनुबंध** में दिया गया है।

*****

अनुबंध

लोक सभा में दिनांक 13.12.2023 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 146 के उत्तर के भाग (ड.) में उल्लिखित अनुबंध।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के अंतर्गत वर्ष 2022-2023 और 2023-24 के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा वितरित किए गए खाद्यान्नों का राज्य-वार ब्यौरा

राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र	2022-23 (टन में)	2023-24 (टन में) (अप्रैल-अक्तूबर'23)
अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	6,665.98	2,483.46
आंध्र प्रदेश	2,202,376.42	1,014,246.95
अरुणाचल प्रदेश	84,830.01	29,668.91
असम	2,716,330.53	699,033.05
बिहार	8,496,219.19	3,044,871.17
चंडीगढ़	12,314.73	-
छत्तीसगढ	2,216,046.66	782,086.23
दमन और दीव तथा दादरा व नगर हवेली	27,273.48	9,659.93
दिल्ली	733,711.10	237,116.07
गोवा	51,520.94	17,229.16
गुजरात	3,610,415.49	1,249,728.51
हरियाणा	1,266,939.58	447,744.23
हिमाचल प्रदेश	305,731.41	105,304.93
जम्मू व कश्मीर	686,913.62	244,649.49
झारखंड	2,612,858.69	881,029.19
कर्नाटक	4,203,308.80	1,457,827.09
केरल	1,619,891.32	570,051.07
लद्दाख	13,289.55	4,594.18
लक्षद्वीप	24,144.49	593.09
मध्य प्रदेश	4,471,644.15	1,852,249.94
महाराष्ट्र	5,438,248.26	2,367,896.74
मणिपुर	196,093.08	8,748.14
मेघालय	749,176.04	76,095.52
मिज़ोरम	63,745.76	26,749.28
नागालैंड	321,287.40	42,268.72
ओडिशा	3,546,921.86	1,287,899.30
पुडुचेरी	29,441.56	-
पंजाब	1,669,490.01	505,907.02
राजस्थान	4,026,617.47	1,524,494.62
सिक्किम	71,344.12	11,207.98
तमिलनाडु	5,468,233.35	1,360,987.76
तेलंगाना	1,808,302.17	705,517.91
त्रिपुरा	1,190,607.21	93,486.66
उत्तर प्रदेश	16,048,118.79	5,512,459.31
उत्तराखंड	519,212.22	214,547.24
पश्चिम बंगाल	5,415,229.63	2,245,682.44

*****